वार्तालाप का इतिहास

श्रीराम जन्मभूमि को प्राप्त करके राम मन्दिर के पुनर्निर्माण का संघर्ष शताब्दियों से चलता आ रहा है। अनेको पीढ़ियों ने इस संघर्ष में अपना योगदान किया है। इस स्थान को प्राप्त करने हेतु 76 बार युद्धों का वर्णन इतिहास में दर्ज है। देश के अनेक बुद्धिजीवियों का यह मत है कि इस विषय का समाधान आपसी वार्तालाप अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो। अतः विश्व हिन्दू परिषद ने वार्तालाप के सभी माध्यमों द्वारा यह प्रयास किया कि भारत के मुस्लिम नेता हिन्दू समाज की भावनाओं को, आस्थाओं को जानें, समझें व आदर करें। जबकि अनुभव यह आया कि मुस्लिम नेतृत्व स्वयं अपनी ओर से, सदियों पुराने इस संघर्ष को समाप्त करके परस्पर विश्वास और सद्भाव का नया युग प्रारम्भ करने के लिए किसी प्रकार की पहल नहीं करता। श्री चन्द्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार की स्वागतयोग्य पहल पर प्रारम्भ हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई। 01 दिसम्बर, 1990 को अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधियों ने बिना किसी पूर्वाग्रह के वार्ता प्रारम्भ की। परिषद की ओर से श्री विष्णुहरि डालमिया, श्री बद्रीप्रसाद तोषनीवाल, श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित, श्री मोरोपंत पिंगले, श्री कौशलकिशोर, श्री भानुप्रताप शुक्ल, श्री आचार्य गिरिराज किशोर व श्री सूर्यकृष्ण उपस्थित रहे। 04 दिसम्बर, 1990 को दूसरी बैठक में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री क्रमशः श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शरद पवार व श्री भैरोंसिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। इस बैठक में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के श्री जफरयाब जिलानी ने दावा किया कि :-

01. किसी भी हिन्दू मंदिर को तोड़कर उसी स्थल पर किसी मस्जिद के निर्माण के पक्ष में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

02. ऐसा कोई भी पुरातात्विक अथवा ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह ज्ञात हो कि मस्जिद निर्माण के पूर्व इसी स्थल पर खड़े किसी मंदिर को तोड़ा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिन्दू परिषद का यह आन्दोलन एकदम नया है।

03. बैठक की कार्रवाई में यह दर्ज है कि कई मुस्लिम नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, फलतः उसके द्वारा मंदिर तोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोरोपंत पिंगले ने सुझाव दिया था कि अगली बैठक में दोनों पक्षों की ओर से तीन-तीन चार-चार विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाए वे ही अपने पक्ष के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने सुझाव दिया था कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञ इन प्रमाणों का परस्पर आदान-प्रदान करें और सत्यापन करें। इस पर श्री जिलानी साहब ने कहा कि पहले समिति के सदस्य आपस में साक्ष्य सत्यापन कर लें तब विशेषज्ञों का सहयोग लें। श्री पिंगले जी ने सुझाव दिया कि इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक समयसीमा निर्धारित कर ली जाए। इस पर निर्णय हुआ किः-

01. दोनों पक्ष 22 दिसम्बर, 1990 तक अपने साक्ष्य गृह राज्यमंत्री को उपलब्ध करायें।

02. मंत्री महोदय साक्ष्यों की प्रतिलिपियां सभी संबंधित व्यक्तियों को 25 दिसम्बर, 1990 तक उपलब्ध करायें।

शेष अगले पृष्ठ पर...

03. इन साक्ष्यों के सत्यापन के पश्चात् दोनों पक्ष पुनः 10 जनवरी, 1991 को प्रातः 10.00 बजे मिलें।

द्विपक्षीय वार्ता का एक औपचारिक दस्तावेज गृह राज्य मंत्रलय के कार्यालय में तैयार हुआ। एक-दूसरे के साक्ष्यों का प्रतियुत्तर 06 जनवरी, 1991 तक देना था। विश्व हिन्दू परिषद ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दावों को निरस्त करते हुए अपना प्रत्युत्तर दिया। जबकि बाबरी कमेटी की ओर से केवल मात्र अपने पक्ष को और अधिक प्रमाणित करने के लिए कुछ अतिरिक्त साक्ष्यों की फोटोप्रतियां दी गईं। कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया। बाबरी कमेटी की ओर से प्रत्युत्तर के अभाव में सरकार के लिए यह कठिन हो गया कि सहमति और असहमति के मुद्दे कौन-कौन से हैं। 10 जनवरी, 1991 को गुजरात भवन में बैठक हुई। अन्य प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विश्व हिन्दू परिषद की ओर से विशेषज्ञ रूप में प्रो0 बी0आर ग्रोवर, प्रो0 देवेन्द्रस्वरूप अग्रवाल व डॉ0 एस0पी0 गुप्ता सम्मिलित हुए। यह तय किया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों को ऐतिहासिक, पुरातात्विक, राजस्व व विधि शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकरण कर लिया जाए। यह भी तय हुआ कि दोनों पक्ष अपने विशेषज्ञों के नाम देंगे जो संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करके 24 व 25 जनवरी, 1991 को मिलेंगे और अपनी टिप्पणियों 05 फरवरी, 1991 तक दे देंगे। तत्पश्चात् दोनों पक्ष इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर फिर से विचार करेंगे। बाबरी मस्जिद कमेटी ने अचानक पैंतरा बदलना शुरू कर दिया। कमेटी ने अपने विशेषज्ञों के नाम नहीं दिए।

18 जनवरी तक उन्होंने जो नाम दिए उसमें वे निरंतर परिवर्तन करते रहे। 24 जनवरी, 1991 को जो विशेषज्ञ आए उनमें चार तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे व डॉ0 आर0एस0 शर्मा, डॉ0 डी0एन0 झा, डॉ0 सूरजभान व डॉ0 एम0 अतहर अली विशेषज्ञ थे। परिषद की ओर से न्यायमूर्ति गुमानमल लोढ़ा, न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल, न्यायमूर्ति धर्मवीर सहगल व वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह चौधरी सरीखे कानूनविद् तथा इतिहासकार के रूप में डॉ0 हर्ष नारायण, श्री बी0आर0 ग्रोवर, प्रो0 के0एस0 लाल, प्रो0 बी0पी0 सिन्हा, प्रो0 देवेन्द्रस्वरूप अग्रवाल तथा पुरातत्वविद् डॉ0 एस0पी0 गुप्ता उपस्थित थे। बैठक प्रारंभ होते ही बाबरी कमेटी के विशेषज्ञों ने कहा कि हम न तो कभी अयोध्या गए और न ही हमने साक्ष्यों का अध्ययन किया है। हमें कम से कम छः सप्ताह का समय चाहिए। यह घटना 24 जनवरी, 1991 की है।

25 जनवरी को बैठक में कमेटी के विशेषज्ञ आए ही नहीं। जबकि परिषद के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ दो घण्टे तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। इसके पश्चात् की बैठक में भी ऐसा ही हुआ अन्ततः वार्तालाप बन्द हो गयी। यह विचारणीय है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मुख्य मुद्दों का सामना करने की बजाए बैठक के बहिष्कार का रास्ता क्यों चुना? इसलिए आज वार्तालाप की बात करना कितना सार्थक होगा यह विचारणीय विषय है।

जून 1992 ई0 में समतलीकरण के समय प्राप्त प्राचीन मंदिर के अवशेष

काले 'कसौटी' पत्थर का अलंकृत स्तम्भ जो अभी भी रामजन्मभूमि भवन में लगा है।

Carved black stone pillar still found existing the domed structure at Ramajanma ...mi.

रामजन्मभूमि के सामने समतलीकरण किए हुए स्थल का दृश्य।

General view of the levelled ground in front of the Ramajanma Bhumi structure.

...ले पत्थर से बना एक और स्तम्भ जो मंदिर के ...द के भारवाहक दीवार के अंत में अभी भी लगा है।

...nother black stone pillar found fixed at the ...nd of a load-bearing pier of one of the ...omes.

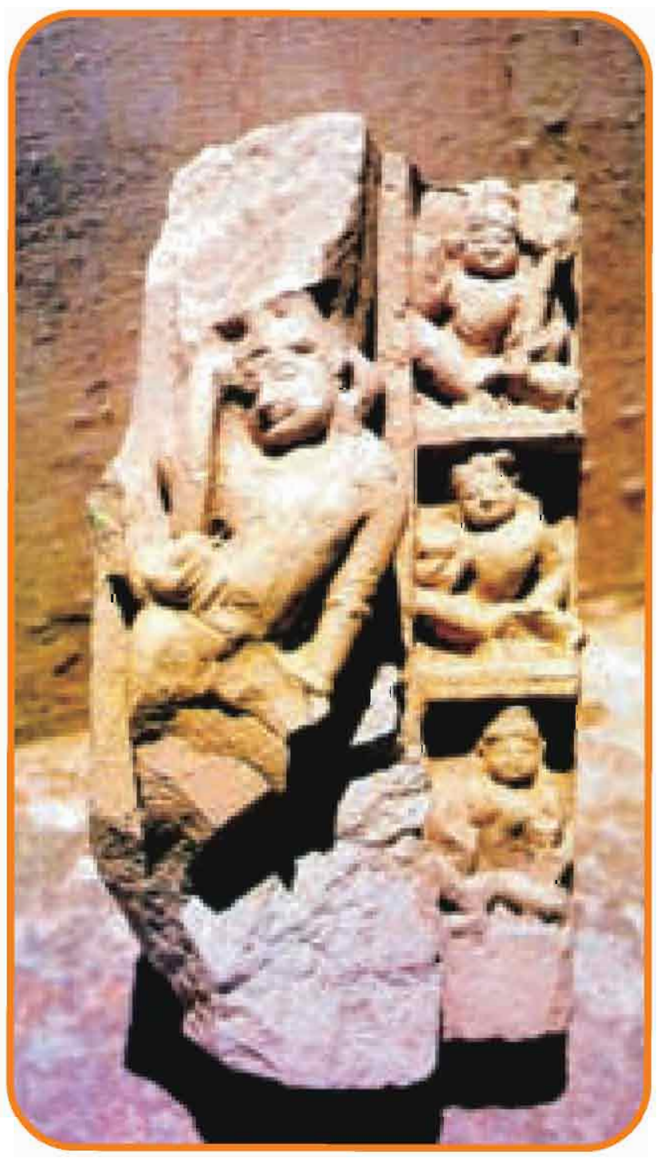

6 दिसम्बर 1992 को ढाँचे की दीवारों से प्राप्त शिलालेख

भारतीय लिपिशास्त्र के विद्वानों ने इस शिलालेख को पढ़कर बताया कि यह संस्कृत में लिखा है। शिलालेख में 20 पंक्तियां हैं, इसमें गोविन्दचंद्र राजवंश का वर्णन है जो 12वीं शताब्दी में शासन करता था। शिलालेख पढ़कर लगता है कि ये अधूरा हैं।

शिलालेख की कुछ पंक्तियों का भावानुवाद

- पंक्ति–1. ऊँ नमः शिवाय। अच्छे पराक्रम वाले...अपनी उच्चता के कारण शतधा...शरीर धारण करने वाले... (ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है)।
- पंक्ति–15. उसने संसार सागर को शीघ्र लांघ जाने के उद्देश्य से भगवान के लघु चरणों का ध्यान करते हुए पूर्व में भी कभी बनवाए न जा सकने वाले अद्भुत टंकों से उत्कीर्ण शैल शिखर श्रेणी समूह से युक्त स्वर्ण कलश वाले विष्णुहरि के इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया।
- पंक्ति–17. उसने नीतिपूर्वक अर्जित वैभव के द्वारा उँचे भवनों वाले मंदिर से युक्त अयोध्या को सजाया तथा साकेत मंडल को हजारों कूप, वापी, तड़ाग व धर्मशालाओं से युक्त किया।
- पंक्ति–19. हिरण्यकशिपु को मारकर, वाणासुर को संयमित करके, बलिराज के बाहु का दलन करके, दुष्ट दशानन को मारकर.... वह दूसरा भाग्यशाली कौन है।

भारत सरकार द्वारा 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण

भारत सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 7 जनवरी 1993 को संसदीय कानून बना कर ढाचें के चारो ओर की 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इस अधिग्रहण में राम जन्मभूमिन्यास को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई 42 एकड़ भूमि भी थी। जबकि ढांचे वाले स्थान का क्षेत्रफल 12000 वर्गफीट ही है। अधिग्रहीत समस्त भूमि केवल हिंदू समाज की है, अनेक मंदिर भी हैं। मुस्लिम समाज की लेशमात्र भूमि भी सरकार ने नहीं ली। सरकार ने अधिग्रहण का उद्देश्य घोषित करते हुए कहा कि इस भूमि में एक मंदिर व एक मस्जिद तथा यात्रियों की सुविधाओं के स्थान का निर्माण करेंगे। अधिग्रहण को मुस्लिम समाज ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी साथ ही साथ तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने संविधान की धारा 143 ए के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न किया कि "क्या ढांचे वाले स्थान पर सन् 1528 के पहले कोई हिंदू मंदिर था?" न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद अक्टूबर 1994 में विवादित भूखंड का अधिग्रहण रद्द करके विवादित भूखंड से संबंधित सभी मुकदमों के अंतिम न्यायिक निपटारे के लिए पुनर्जीवित कर दिया तथा शेष भूमि का अधिग्रहण स्वीकार कर लिया एवं विवादित भूमि के स्वामित्व निपटारा व राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न के उत्तर का दायित्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सौंप दिया। महामहिम राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के प्रश्न पर सुनावाई के दौरान और अधिक स्पष्टीकरण मांगने पर 14 सितम्बर 1994 को भारत सरकार के महाधिवक्ता दीपांकर गुप्ता ने भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पूर्वक सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए लिखित में बताया कि "यदि महामहिम राष्ट्रपति के प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता है अर्थात ढांचे के नीचे 1528 से पूर्व कोई हिन्दू मन्दिर/भवन था तो भारत सरकार की कार्यवाई हिन्दू भावनाओं के समर्थन में होगी"। इस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में सिविल मुकदमों की प्राथमिक सुनवाई वर्ष 1995 से प्रारंभ हो गई।

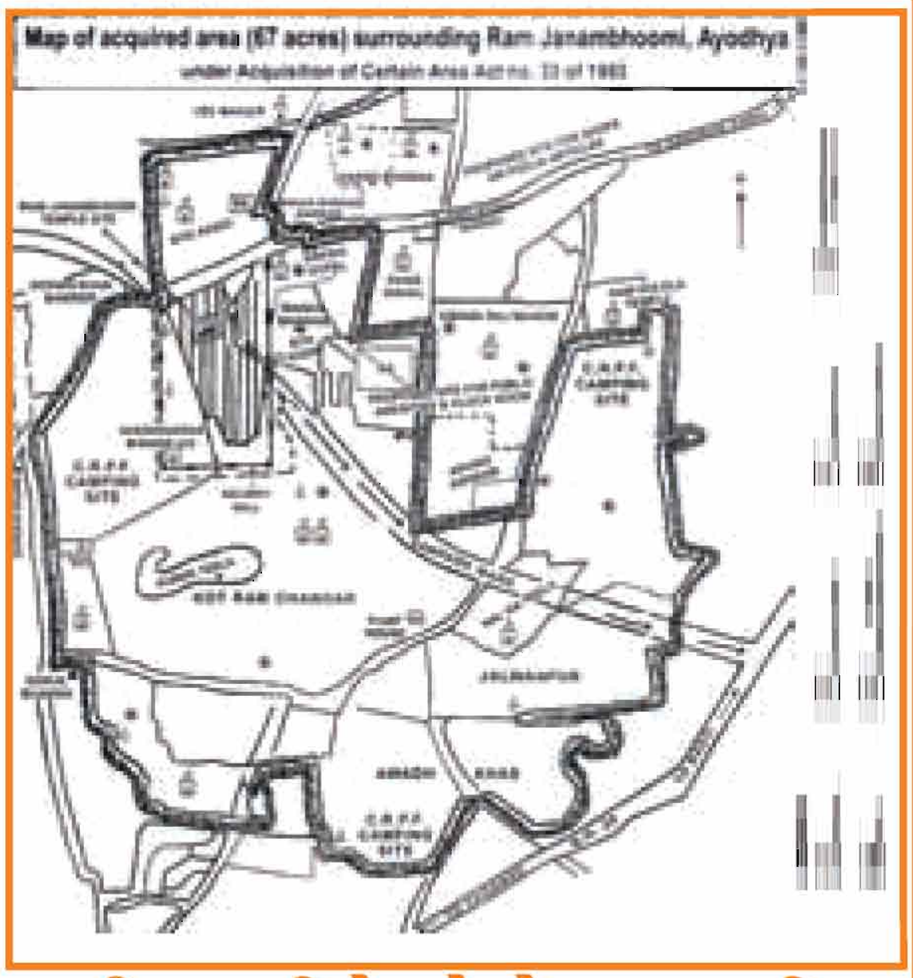

अधिग्रहण किये गये क्षेत्र का मानचित्र

अदालती प्रकिया एवं लखनऊ खण्ड पीठ का गठन

श्री राम जन्मभूमि के लिए हिन्दू की ओर से जनवरी, 1950 में जिला अदालत में दायर वाद, रामानन्द सम्प्रदाय के निर्मोही अखाड़े की ओर से 1959 में दायर वाद, सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से तो दिसम्बर, 1961 में दायर मुकदमा तथा वर्ष 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकीनन्दन अग्रवाल (अब स्वर्गीय) द्वारा स्वयं रामलला और राम जन्मभूमि को वादी बनाते हुए अदालत में दायर वाद एवं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की धारा 143 ए के अंतर्गत पूछे गए प्रन का उत्तर खोजने की न्यायिक प्रक्रिया उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में 1995 से प्रारंभ हो गई। 3 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ नें सुनवाई प्रारंभ की। इस पीठ में एक न्यायाधीश का मुस्लिम समाज से जुड़ा होना अनिवार्य था। गवाहों के बयान लिखे गए, गवाहों से प्रतिपक्ष के वकीलों द्वारा जिरह हुई। सभी मुकदमें एक ही स्थान के लिए है अतः सबको एक साथ जोड़ने और एक साथ सुनवाई तथा एक ही निर्णय से सबके निपटारे का आदेश हुआ। किसी न किसी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण पीठ का 12 बार पुनर्गठन हो चुका है। अंतिम पुनर्गठन एक न्यायाधीश की प्रोन्नति के कारण हुआ। अधिवक्ताओं की बहस के दौरान पुनर्गठन के कारण वकीलों को अपनी बात बार-बार दोहरानी पड़ी फिर भी प्रक्रिया अधूरी है। उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उससे कोई एक पक्ष असंतुष्ट होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। वहां कितना समय लगेगा, कौन जानता है? प्रश्न है कि इस देरी का समाज पर क्या मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा।

लखनऊ खंडपीठ के पुनर्गठन का विवरण

"OM"

A BRIEF ABOUT THE CIVIL PROCEDURE ON SRI RAMA JANMA BHUMI/BABURI MASJID GOING ON BEFORE THE LUCKNOW BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT, LUCKNOW

KINDLY THINK OVER

A Three-Judges Full Bench of the Lucknow Bench of Allahabad High Court was first constituted in August 1989 to finally adjudicate the five title suits regarding the disputed site of Sri Rama Janma Bhumi/Baburi Masjid at Ayodhya. The suits were re-numbered as O.O.S. No. 1/1989, O.O.S. No. 2/1989, O.O.S. No. 3/1989, O.O.S. No. 4/1989 and O.O.S. No. 5/1989. In the year 1990, the O.O.S. No. 2/1989 was withdrawn by the Plaintiff. After re-framing the issues, the oral evidence started in 1995. Since then, this Bench has been re-constituted ten times due to retirement of some or the other Hon'ble Judge. The list attached hereby shows its details.

The Final Arguments of the Sunni Muslim Waqf Board (O.O.S. 4/1989 - the leading case) started in April 2006 and continued till April/May 2009. During the course of arguments, Hon'ble Justice O.P. Srivastava retired in June 2007. He was re-appointed for one year around August/September 2007. In the meantime the bench did not sit till Hon'ble Mr Justice Sudhir Agrawal joined the Bench in September 2008 on final retirement of Hon'ble Justice O.P. Srivastava. Mr. Jafaryab Jeelani - the advocate for O.O.S. No. 4/1989 of Sunni Central Waqf Board argued for about 150 working days spanning about 27 months.

Now the senior-most Judge of the Bench Hon'ble Justice S.R. Alam has got his promotion transfer. He was hearing the case since September 1996. As a result the reconstituted Bench will go back over the case again and the whole process of argument may be repeated. Further, one is afraid, if the arguments are not over and the final judgment is not pronounced latest by September 2010, then Hon'ble Justice D.V. Sharma will retire leaving the Bench liable for re-constitution and going back over the case and the arguments yet again.

The question is how long will the civil procedure continue? What will be the psychological effect of this exercise on the society?

Sl.No.	Name	Designation	Dates
1	Hon'ble Justice K.G. Agrawala Hon'ble Justice U.C. Srivastava Hon'ble Justice S.H.A. Raza	A.C.J. J. J.	1989 August
2	Hon'ble Justice S.C. Mathur Hon'ble Justice B. Kumar Hon'ble Justice S.H. A. Raza	J. J. J.	1990
3	Hon'ble Justice A.P. Mishra Hon'ble Justice C.A. Rahim Hon'ble Justice I.P. Vashishtha	J. J. J.	1995
4	Hon'ble Justice A.P. Mishra Hon'ble Justice I.P. Vashishtha Hon'ble Justice S.R. Alam	J. J. J.	1996 September
5	Hon'ble Justice D.K. Trivedi Hon'ble Justice I.P. Vashishtha Hon'ble Justice S.R. Alam	J. J. J.	1997
6	Hon'ble Justice D.K. Trivedi Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice J.C. Mishra	J. J. J.	1999.
7	Hon'ble Justice D.K. Trivedi Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice Bhanwar Singh	J. J. J.	2000 July
8	Hon'ble Justice Sudhir Narain Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice Bhanwar Singh	J. J. J.	2001 Sept.
9	Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice Khem Karan Hon'ble Justice Bhanwar Singh	J. J. J.	2003 July
10	Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice Bhanwar Singh Hon'ble Justice O.P. Srivastava	J. J. J.	2005 Aug.
11	Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice O.P. Srivastava Hon'ble Justice D.V. Sharma	J. J. J.	2007 Feb. upto 27.4.2007
12	Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice D.V. Sharma Hon'ble Justice O.P. Srivastava	J. J. J.	27.11.2007
13	Hon'ble Justice S.R. Alam Hon'ble Justice Sudhir Agrawal Hon'ble Justice D.V. Sharma	J. J. J.	29.9.2008
14	Hon'ble Justice Sudhir Agrawal Hon'ble Justice D.V. Sharma Hon'ble Justice S.U. Khan	J. J. J.	20th Dec., 2009

महामहिम राष्ट्रपति का प्रश्न, भूमि के नीचे राडार तरंगो द्वारा रामजन्म स्थान का सर्वेक्षण एवं भूमि उत्खनन का परिणाम

वर्ष 1993 में भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की धारा 143 ए के अन्तर्गत अपना एक प्रश्न प्रस्तुत किया और उसका उत्तर चाहा। प्रश्न था कि "क्या ढांचे वाले स्थान पर 1528 ईसवी के पहले कोई हिन्दू मंदिर था?" सर्वोच्च न्यायालय ने कोई उत्तर न देते हुए इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अदालती प्रक्रिया पर डाल दिया था। उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर खोजना था। यदि 1528 ई. में मन्दिर तोड़ा गया तो उसके अवशेष जमीन में जरूर दबे होंगे। यह खोजने के लिए उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रेरणा से 2002 ई. में राडार तरंगो से जन्मभूमि के नीचे की फोटोग्राफी कराई। फोटो विशेषज्ञ कनाडा से आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष भाग में लिखा कि जमीन के नीचे किसी भवन के अवशेष दूर-दूर तक दिखते हैं। इनकी सत्यता वैज्ञानिक उत्खनन द्वारा जांची जानी चाहिए।

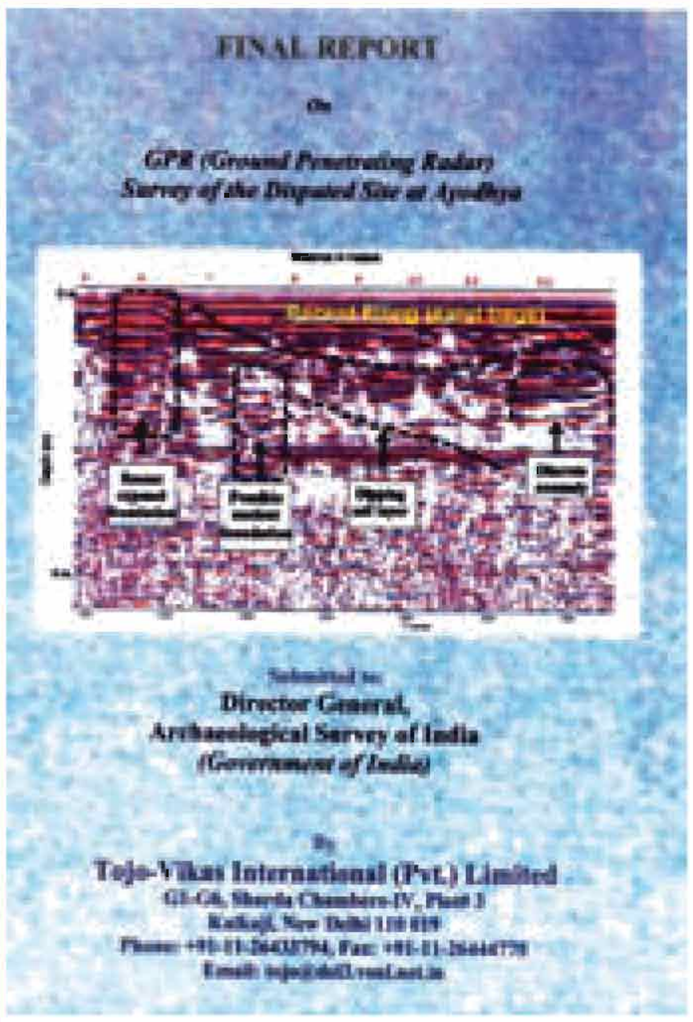

उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा रामजन्म भूमि का राडार तरंगों द्वारा कराये गये सर्वे का निष्कर्ष

FINAL REPORT
On
GPR (Ground Penetrating Radar)
Survey of the Disputed Site at Ayodhya

Submitted to:
Director General,
Archaeological Survey of India
(Government of India)

By
Tojo-Vikas International (Pvt.) Limited

In conclusion, the GPR survey reflects in general a variety of anomalies ranging from 0.5 to 5.5 meters in depth that could be associated with ancient and contemporaneous structures such as pillars, foundations walls slab flooring, extending over a large portion of the site. However the exact nature of those anomalies has to be confirmed by systematic ground truthing, such as provided by archeological trenching.

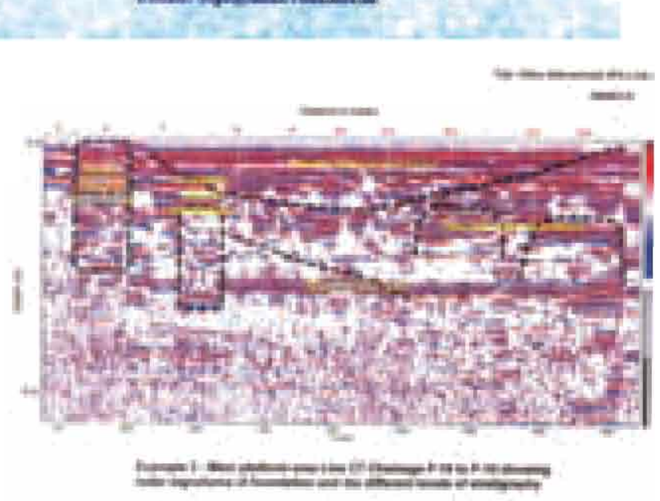

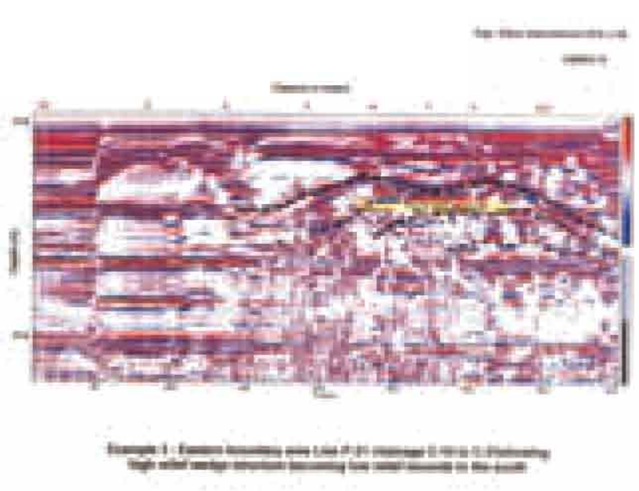

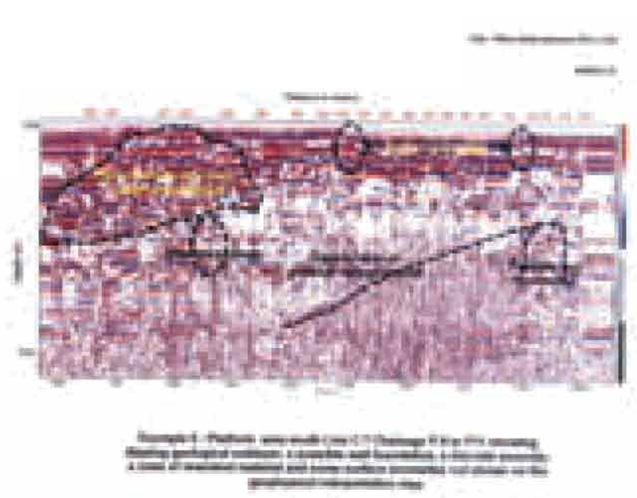

राडार सर्वे रिपोर्ट की पुष्टि के लिए भूमि का वैज्ञानिक उत्खनन का आदेश हुआ। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, खुदाई का परिणाम राडार रिपोर्ट से मेल खा गया। उत्खनन करने वाले विशेषज्ञों का मत है कि यहां कोई मंदिर कभी अवश्य रहा होगा। सभी तथ्य आज अदालत के समक्ष प्रमाण के रूप में हैं।

SITE BEFORE EXCAVATION-2003

उत्खनन से पूर्व स्थान